न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–डॉ एस.पी.सिंह (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 17/2016

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

बउनवान

मुकेश उम्र 30 पुत्र श्री रमेशचन्द जाति–मीणा निवासी–ग्राम काचरी
तहसील–अन्ता, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार,अन्ता **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री जितेन्द्र नागर, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 11.01.2018

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 30.10.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–काचरी, तहसील–अतां की आराजी खसरा नम्बर 56, 57 रकबा 0.10 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 304/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर एकतरफा कार्यवाहीं है। उसे सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। अपीलांट का विवादित आराजी कोई कब्जा नहीं है। वर्तमान में भूमि खाली पडी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.10.2015 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट को बहस हेतु कई बार रूक रूक कर आवाज दिलवायी गयी। किन्तु अभिभाषक बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है। तदुपरान्त पत्रावली में गुणावगुण पर पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान पेरोकार सरकार का कथन है कि अपीलांट द्वारा विवादित आराजी ख0नं0 56, 57 रकबा 0.10 है0 ग्राम काचरी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किया है जो हल्का पटवारी की रिपोर्ट से प्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट पर अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी कर, सुनवाई का सुनवाई अवसर प्रदान कर, अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर, बेदखली व सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में सम्वत् 2071 में भी बेदखल किया जाना भी प्रमाणित है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट उक्त आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है। अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावें।

हमने विद्वान पेरोकार सरकार की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलांट अभिभाषक बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे है। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अन्ता द्वारा अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमण करने पर सम्वत् 2071 में भी बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रकरण संख्या 301/15 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2015 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

सत्यमेव जयते
Website Copy - Not Official